न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत 15 नये अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता।

कृपया अवगत कराना है कि पूर्व में इस कार्यालय के आदेश संख्या 2150–78/प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15, दिनांक 18.09.2019 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता मूल वेतन सहित जारी किया गया है। उक्त आदेश में उल्लिखित दरें 15 नये अनुसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों पर भी लागू होना है।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 850/36–03–2019–931(न्यू0वे0)/06, दिनांक 30.09.2019 में उल्लिखित 15 नये नियोजनों में नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम– 1948 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 194/36–03–2014–07(एम0डब्लू0)/04, दिनांक 28.01.2014 में उल्लिखित श्रमिकों हेतु मजदूरी की मूल दरें लागू कर दी गयी हैं। उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 15 नये नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जनवरी, 2019 से जून, 2019 तक के औसत अंक 310.83 के पूर्णांकित औसत 311 (तीन सौ ग्यारह) अंकों पर दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय होगा–

दृष्टांत :– रूपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 पर दिनांक दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्न प्रकार देय होगा–

$$\frac{(311-216)}{216} \times 5750 = \text{रू0 } 2528.94 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरे निम्नवत् है–

क्र0	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में)		दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 31.03.2020
			दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 31.03.2020	कुल मजदूरी(रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
1	2	3	5	6	7
1	अकुशल	5750.00	2528.94	8278.94	318.42
2	अर्द्ध कुशल	6325.00	2781.83	9106.83	350.26
3	कुशल	7085.00	3116.09	10201.09	392.35

15 अनुसूचित नियोजन

क्र0	नियोजनों के नाम
66-	ताला उद्योगों के नियोजन में
67-	पीतल के बर्तनों एवम् पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन में
68-	किसी निजी सुरक्षा अभिकरण/सेवा प्रदाता में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों, जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों में नियोजन
69-	बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवम् शुष्क शौचालयों का निर्माण(प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत निषिद्ध कियाकलाप शामिल नहीं है
70-	घरेलू कामगारों का नियोजन
71-	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन
72-	एल0पी0जी0 वितरण एवम् सम्बन्धित सेवाओं में नियोजन
73-	टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पो एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन
74-	केबल आपरेटर एवं सम्बन्धित सेवाओं में नियोजन
75-	गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संस्थाओं में नियोजन
76-	विकय संवर्धन(विकय संवर्धन कर्मचारी(सेवाशर्ते) अधिनियम, 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन
77-	हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर(पुरूष एवम् महिलाए) में नियोजन
78-	कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन
79-	काल सेन्टर/ आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सर्विसेज आदि में नियोजन
80-	ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन

(डी0के0 सिंह)
अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

पत्र सं0– 2289-2315 /प्रवर्तन–(एम0डब्लू0) /15 दिनांक 14-10- , 2019

प्रतिलिपिः–

1. समस्त क्षेत्रीय अपर /उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराऐं।
2. अनुसचिव उ0प्र0 शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई–मेल wagecell@nic.inके माध्यम से।

Scanned by CamScanner

4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. उप श्रमायुक्त, (आई0आर0), मुख्यालय।
6. अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.inपर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

(डी0के0 सिंह)
अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner